न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या0 59/20

1. अमरसिंह } पुत्रगण बाबू उर्फ बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी बागथर तह0
2. अतरसिंह } बसेडी जिला धौलपुर राज0

.... वादीगण

बनाम

1. भैरोसिंह } पुत्रगण श्रीया जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी
2. निहालसिंह } जिला धौलपुर रा0
3. गीता वेवा पत्नी रमेश
4. कान्हा } पुत्रगण रमेश जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी जिला
5. राहुल } धौलपुर राज0
6. विमल }
7. नीरज पुत्रीयान } रमेश जातिगण गूर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी
8. पूजा } जिला धौलपुर
9. मौनू }
10. रनवीर } पुत्रगण हीरालाल जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी
11. मुन्शी }
12. दीनदयाल }
13. निर्भय भगबानसिंह } पुत्रगण लक्खों जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0
14. रामरूप } बसेडी जिला धौलपुर
15. शादीलाल }
16. रामबाई पुत्री }
17. पुत्र लक्खों }
18. मन्जू पत्नी राजवीर जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी
19. मौनू पुत्र राजवीर जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी
20. सौनू पुत्र राजवीर जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह0बसेडी
21. ल्हौरी पत्नी भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी बागथर तहसील बसेडी जिला धौलपुर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी

........................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वकील वादीगण –श्री सुखराम सिंह परमार एड0
वकील प्रतिवादीगण – एक पक्षीय

दिनांक 14.11.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, आर.टी.एक्ट इन तत्थो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त कृषि योग्य

14.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आराजी स्थित वाके ग्राम बागथर तहसील बसेड़ी के "परिशिष्ट क" ख0न0 2407 रकवा 0.2000 हैक्टेयर वाके ग्राम बागथर "परिशिष्ट "ख"ख0न0 2430 रकवा 0.6500 हैक्टेयर " परिशिष्ट ग" ख0न0 2604 रकवा 0.2500 हैक्टेयर "परिशिष्ट घ" क्रमशः ख0न0 2405, 3146, 3147, क्रमशः रकवा 0.2200, 0.4800, 1.0600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 7600 हैक्टेयर "परिशिष्ट ड" ख0न0 1925 ,1936 क्रमश रकवा 0.2400, 0.7100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.9500 हैक्टेयर "परिशिष्ट च" ख0न0 2434, रकवा 1800 हैक्टेयर "परिशिष्ट छ" ख0न0 क्रमशः 3391, 3392, 3393 रकवा क्रमशः 0.1600, 0.1200, 0.2900 कुल किता 3 कलु रकवा 0.5700 हैक्टेयर वाके ग्राम बागथर में स्थिति है। पक्षकारन की वंशावली शिजरा निम्न है।

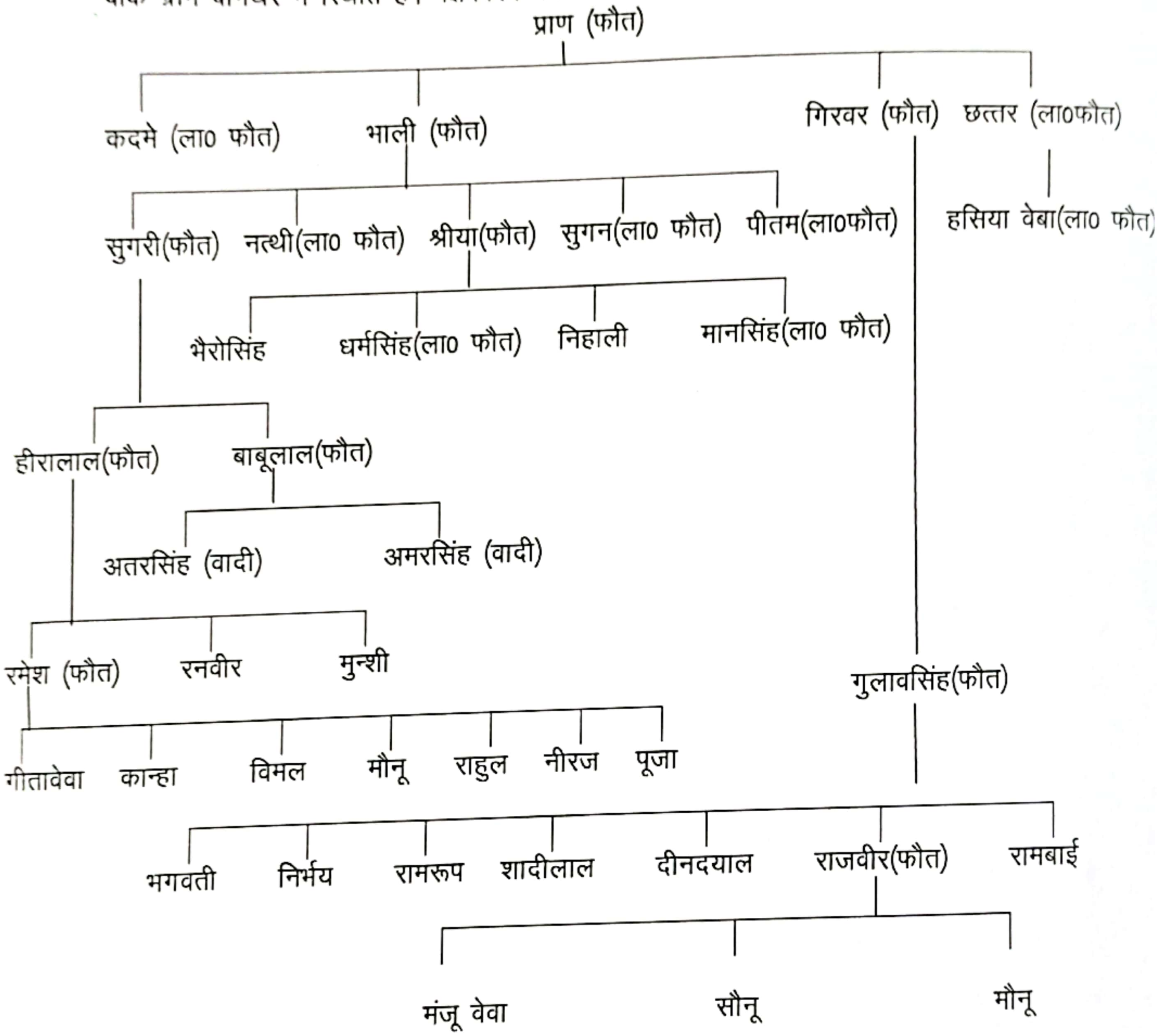

14.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

विवादग्रस्त आराजी के वादीगण 1 लगायात 20 भैरोसिंह बगैरा सहखातेदार काश्तकार है। तथा काविज होकर सयुक्त रूप से काश्त करते तथा समय से सरकरार को लगान करे रहे है। तथा मिलकर काश्त करते चले आ रहे है विवादग्रस्त आराजी "परिशिष्ट क" ख0न0 वाके ग्राम बागथर तहसील बसेडी के काविज मालिक खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी 1 एवं 3 लगायत 11 एवं खातेदार काश्तकार हंसिया वेवा छत्तर जाति गुर्जर निवासी बागथर हिस्सा 1/2 भाग का देहान्त लगभग काफी वर्षो पहले हो चुका है उसके वारिसान एवं कायम मुकाम माली गिरवर के वारिसान हुये जो मृतक छत्तर एवं हंसिया के परिवारी जन एवं कुटम्बीजन है तथा उसके नजदीक परिसान है इन्होने ही मृतक की देखभाल की एवं दाहसंस्कार तेरवी बगैरा की है तथा इन्होने ही मृतक का सम्पूर्ण हक अधिकार हिस्सा मुताविक हिस्सा प्राप्त किया है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण है साथ ही है। कदमे का भी देहान्त काफी वर्षो पूर्व फोत हो चुका है उनके वारिसान भी वादी एवं प्रतिवादी ही है हंसिया पत्नी छत्तर के हिस्सा 1/2 भाग मुताविक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 20 पर विरासतन प्रकान्त हुआ है। परन्तु अभी इनके नाम विरासतन दाखिल खारिज नही खुल पाया है जिसे खोला जावे। आर्थात् खुलवाने का अधिकारी है विवादग्रस्त आराजी परिशिष्ट ,ख,ग,घ,ड, य,च, छ, बाके गाम बागथर तहसील बसेडी के काबिज मालिक खातेदार काश्तकार मुताविक हिस्सा 1 भाग के वादी एवं प्रतिवादीगण है एवं परिशिष्ट "ड" द्रापती पत्नी लक्खों खातेदार काश्तकार हिस्सा 1/16 भाग का देहान्त काफी वर्षो पूर्व हो चुका है उनके वारिसान एवं कायमुकाम प्रतिवादी 12 लगायात 20 है इन्होने ही मृतक माँ दादी का सम्पूर्ण इक ,अधिकार मुताविक भाग प्राप्त किया है परन्तु अभी इनके नाम विरसतन दाखिल खारिज नही खुल पाया है जिसे खोला जावे। अर्थात खुलवाने के अधिकारी है। इसीप्रकार परिशिष्ट "ख" व "ड़" में रमेश का देहान्त हो चुका है उसके वारिसान प्रतिवादी 3 लगा0 9 है। विवादग्रस्त आराजीयात "क", "ख", "ग", "घ", "ड़", "च", "छ" के खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी 1 लगा0 20 भैरोसिंह बगैरा हे जो मुताविक हिस्सा (भाग) के संपूर्ण रूप से काविज होकर काश्त कर रहे है उपयोग व उपभोग कर रहे है। वर्तमान में विवादित आराजीयात में पक्षकारान सह–खातेदारों के हिस्से निम्न प्रकार से है।

परिशिष्ट "क" बाके ग्राम बागथरः–

वादी संख्या 1 अमरसिंह 1/16+1/32 मुताविक भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 1/16+1/32 मुताविक भाग, प्रतिवादी संख्या भैरोसिंह 1/4+1/16 मुताविक भाग, प्रतिवादी 2 निहाल सिंह 1/16 मुताविक भाग, प्रतिवादी 3 लगायत 9 गीता वेवा बगैरा 7/336+1/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 5/96+1/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी मुन्शी 5/96+1/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 12 लगायत 20 दीनदयाल बगैरा 1/4 मुताविक भाग।

परिशिष्ट "ख" बाके ग्राम बागथरः–

वादी संख्या 1 अमरसिंह 5/72 भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 5/72 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 भैरोसिंह 2/9 भाग, प्रतिवादी 2 निहाल सिंह 1/18 भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 25/432 मुताविक भाग, प्रतिवादी 11 मुन्शी 25/432 भाग, प्रतिवादी 12 दीनदयाल 1/18+1/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 13 निर्भय सिंह 1/18+1/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 14 भगवान सिंह 1/18+1/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 15 रामरूप 1/18+1/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 16 शादीलाल 1/18+1/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 17 रामबाई 1/18+1/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 18 मंजूदेवी 5/648+1/54+1/336 मुताविक भाग, प्रतिवादी 19 मौनू 5/648+1/54+1/336 मुताविक भाग, प्रतिवादी 20 सौनू 5/648+1/54+1/336 मुताविक भाग।

परिशिष्ट "ग" बाके ग्राम बागथरः–

14.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वादी संख्या 1 अमरसिंह 1/8 मुताविक भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 1/8 मुताविक भाग, प्रतिवादी संख्या भैरोसिंह 1/4 मुताविक भाग, प्रतिवादी 2 निहाल सिंह 1/4 मुताविक भाग, प्रतिवादी 3 लगायत 9 गीता वेवा बगैरा 7/168 मुताविक भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 5/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 11 मुन्शी 5/48 मुताविक भाग।

परिशिष्ट "घ" बाके ग्राम बागथरः–
वादी संख्या 1 अमरसिंह 1/4 मुताविक भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 1/4 मुताविक भाग, प्रतिवादी 3 लगायत 9 गीता वेवा बगैरा 7/84 मुताविक भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 5/24 मुताविक भाग, प्रतिवादी 11 मुन्शी 5/24 मुताविक भाग।

परिशिष्ट "ड़" बाके ग्राम बागथरः–
वादी संख्या 1 अमरसिंह 1/8 मुताविक भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 1/8 मुताविक भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 5/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 11 मुन्शी 5/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 12 लगायात 17 दीनदयाल बगैरा 6/16+6/112 मुताविक भाग, प्रतिवादी 18 मंजूदेवी 1/48+1/72+1/336 मुताविक भाग, प्रतिवादी 19 मौनू 1/48+1/72+1/336 मुताविक भाग, प्रतिवादी 20 सौनू 1/48+1/72+1/336 मुताविक भाग।

परिशिष्ट "च" बाके ग्राम बागथरः–
वादी संख्या 1 अमरसिंह 1/8 मुताविक भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 1/8 मुताविक भाग, प्रतिवादी 1 भैरोसिंह 1/2 मुताविक भाग, प्रतिवादी 3 लगायत 9 गीता वेवा बगैरा 5/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 5/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 11 मुन्शी 7/168 मुताविक भाग।

परिशिष्ट "छ" बाके ग्राम बागथरः–
वादी संख्या 1 अमरसिंह 1/8 मुताविक भाग, वादी संख्या 2 अतरसिंह 1/8 मुताविक भाग, प्रतिवादी 1 भैरोसिंह 1/2 मुताविक भाग, प्रतिवादी 3 लगायत 9 गीता वेवा बगैरा 7/168 मुताविक भाग, प्रतिवादी 10 रनवीर 5/48 मुताविक भाग, प्रतिवादी 11 मुन्शी 5/48 मुताविक भाग।

विवादित आराजीयात परिशिष्ट "ड़" वाके ग्राम बागथर की आरीयात ख.न. 1925/0.2400, 1936/0.7100 एयर में से प्रतिवादी संख्या 10 रनवीर पुत्र हीरालाल गुर्जर ने ता0 14.09.2020 को प्रतिवादी 21 ल्हौरी पत्नी भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी बागथर को 5/48 भाग का रजि0 वयनामा कर दिया अर्थात विक्रय कर दिया जो विधि विरूद्ध गैर कानूनी है ऐसे गलत एवं गैर कानूनी वयनामा विक्रय पत्र से वादी के हित व अधिकारी पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। प्रतिवादी 10 रनवीन को इस प्रकार बिना बटवारे कराये आराजीयात कब्जा काश्त के वयनामा विक्रय पत्र करने का कोई भी हक अधिकार प्राप्त नही है। क्योकि उक्त आराजीयात में वादी का भी 1/8, 1/8 भाग है कब्जा है उक्त वयनामा विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है तथा प्रतिवादी 21 ल्हौरीदेवी अजनवी क्रेता है जिन्है ना तो वयनामा कराने का ना ही बिना बटवारे हुए दाखिला खारिज खुलवाने का ना ही कब्जा कराने को काई भी हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी 21 को कोई भी कब्जा नही है परन्तु शेष यह खातेदारों के साथ मिलकर झगड़ा कर रही है। विवादित आराजीयात का अभी विभाजन नही हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 20 संयुक्त रूप से मुताविक हिस्सा काविज होकर काश्त कर रहे है तथा जब तक बटवारा नही हो जाता है तब तक प्रतिवादी विवादग्रस्त आराजीयात में से विक्रय नही करे ना ही रहन, वय मुन्तकिल करें ना ही परेशान करे ना कोई निर्माण कार्य करे। जब वादी ने ब्राह्मी बटवारा करने पर तथा वादी के मुताविक हिस्सा/भाग को अलग करने की कही तो प्रति0 ने स्पष्ट रूप से इकरार कर दिया धमकिया दी कि वादी का कोई भाग नही है। अतः अब वे वादी को उसके मुताविक भाग/हिस्सा के ना तो काश्त करने देगे ना हिस्सा/भाग देंगे। जब वादी बटवारा करने की

14.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

कही तो प्रति0 ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा धमकिया दी। पिछले 7 दिन पूर्व दिनांक
01.10.2020 को प्रतिवादी 1 लगा0 21 ने वादी को धमकी दी कि वह इस बार बिना हमारे पूँछे
जोत बोवे नही। ना ही खड़ी फसल को काटे क्योंकि हमने कुछ आराजीयात को किसी दीगर
व्यक्तियों को विक्रय करने की बावत करली है। कुछ को विक्रय भी कर डाला है। वादी ने कहा
कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे व प्रति0 का कभी बटवारा नही हुआ है इसलिये आप लोग
बिना बटवारा कराये विवादित सम्पूर्ण आराजीयात को विक्रय नही करे। विशेष दिशा पर कब्जा
नही करे ना ही निर्माण कार्य करे यह सुनकर प्रति0 आग बबूला हो गये। इस बार खेतो को
जोता–बोया खाद डाली या फसल काटी मेंढ समाली तो तुम्हे जान से मार देगे। तथा तुम्हारे
घर मकान है उसे भी छुडा लेंगे। अब वादी को यह आवश्यक हो गया है कि विवादग्रस्त
आराजीयात में अपना हिस्सा/भाग बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड (By meats and bounds)
अलग करा के अपने हिस्सो का लगान अदा अलग से करे तथा प्रति0 को जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे किवह विवादित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में किसी
प्रकार से हस्तक्षेप न करें अर्थात कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे ना ही
बगौर बटवारा कराये दीगर व्यक्तियों को विक्रय करे ना परेशान करें। प्रतिवादी 22 राजस्थान
जरिये तहसीलदार बसेड़ी को भू–स्वामी होने के कारण तथा अवश्यक पक्षकार होने के कारण
इसे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है परन्तु इनके खिलाफ कोई भी अनुतोष नही चाहा जाता है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:–
दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी किया जावे कि विवाद ग्रस्त
आराजीयात खसरा नम्बर 2407/0.2000, 2430/0.6500, 2604/0.2500, 2405/0.2200,
3146/0.4800, 3147/1.0600, 1925/0.2400, 1936/0.7100, 2434/0.1800, 3391/0.1600,
3392/0.1200, 3393/0.2900 बाके ग्राम बागथर पटवार हल्का बागथर तह0 बसेड़ी जिला
धौलपुर का वादीगण मुताविक हिस्सा/भाग 1/16+1/32, 1/16+1/32, 5/72, 5/72,
1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 भाग प्रतिवादी 1 लगा0 20
मुताविक भाग/हिस्सा के काविज खातेदार काश्तकार है तथा घोषित किया जावे एवं उक्त
विवादित आराजीयात का विभाजन/बटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड (By meats and
bounds) किया जाकर वादी के मुताविक भाग/हिस्सा की आराजीयात का खाता प्रथक कायम
किया जावे तथा उस पर प्रथक लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से में आई आराजीयात पर वादी के कब्जे
काश्त में हस्तक्षेप नही करे ना ही परेशान करें एवं बिना बटवारा राये अन्य किसी व्यक्तियों को
विक्रय नही करें कोई निर्माण कार्य नही करें। मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 बाबजूद तामील हाजिर अदालत न होने पर एक पक्षीय कार्यवाई
अमल मे लायी गयी। अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू–1 में अतरसिंह पुत्र बाबू
व पी.डब्ल्यू–2 रनवीर पुत्र हीरालाल के बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी
खाता संख्या 448 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी खाता संख्या 559 सम्वत 2074–77
प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी खाता संख्या 444 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी खाता
संख्या 445 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी खाता संख्या 558 सम्वत 2074–77 प्रदर्श
5, नकल जमाबंदी खाता संख्या 447 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी खाता संख्या
446 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 7, नकल प्रमाणित प्रति वयनामा ता0 14.09.2020 रनवीर वहक
ल्हौरिका देवी प्रदर्श 8 तथा अधिवक्ता वादीगण द्वारा शेष साक्ष्यवादी के स्थान पर साक्ष्य वादी
बन्द कर सीधी वहस करने का अनुरोध किया।

14.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बसेड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए विवादग्रस्त कृषि योग्य खसरा नम्बर 2407/0.2000, 2430/0.6500, 2604/0.2500, 2405/0.2200, 3146/0.4800, 3147/1.0600, 1925/0.2400, 1936/0.7100, 2434/0.1800, 3391/0.1600, 3392/0.1200, 3393/0.2900 वाके ग्राम बागथर पटवार हल्का बागथर तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर का पक्षकारान मुकदमा की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 ये 21 के प्रावधानों के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रत्येक कुर्रे में लगान की फैलावट आदि नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार बसेड़ी ने अपने पत्रांक/भू.अभि./2025/1584 दिनांक 19.08.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस विभाजन प्रस्ताव वकीलवादी की एक पक्षीय सुनी वकील वादी ने मुताविक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा।

राजस्व गाव व खाता संख्या	क.स.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
बागथर	1	1.अतरसिंह पुत्र बाबू हिस्सा 1/2, अमरसिंह पुत्र बाबू हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	2405 3147/1 2407/1 3391/2 1936/3 1925/2	0.2200 है0 0.7700 है0 0.0575 है0 0.1400 है0 0.1770 है0 0.0600 है0	चा0प्र0 बा0दो0 चा0प्र0 चा0सो0 न0दो0 न0दो0	— — — — — —
			कुल किता 6	1.4245 है0	—	—
	2	गीता पत्नी रमेश हि0 1230/14175, कान्हा पुत्र रमेश, नीरज पुत्री रमेश, पूजा पुत्री रमेश, मौनू पुत्री रमेश, राहुल पुत्र रमेश, विमल पुत्र रमेश हि0 ब0 2025/14175, रनवीर पुत्र हीरालाल हि0 5460/14175, मुंशी पुत्र हीरालाल हि0 5460/14175 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार।	2604/2 3392 3391/1 3146 3147/2 2434 2430/1 2407/2	0.1300 है0 0.1200 है0 0.0200 है0 0.4800 है0 0.2900 है0 0.1800 है0 0.1800 है0 0.0175 है0	न0प्र0 चा0सो0 चा0दो0 चा0सो0 बा0दो0 चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0	— — — — — — — —
			कुल किता 8	1.4175 है0	—	—
	3	भैरोसिंह पुत्र श्रीया हि0 35/59, निहाल सिंह पुत्र श्रीया हि0 24/59 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	2604/1 3393 2430/2	0.1200 है0 0.2900 है0 0.1800 है0	न0प्र0 चा0सो0 चा0प्र0	— — —
			कुल किता 3	0.5900 है0	—	—

[signature] 14.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बागथर	4	द्रोपती पत्नी लक्खो, दीनदयाल, निर्भय, भगवानसिंह, रामरूप, सादीलाल पुत्रान लक्खो, रामबाई पुत्री लक्खो हि0ब0 3556/4065, मंजू पत्नी राजवीर, मौनू, सोनू पुत्रान राजवीर हि0 ब0 509/4065 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार।	2430/3 1936/4 1925/1 2407/4	0.2880 है0 0.3550 है0 0.1200 है0 0.0500 है0	चा0प्र0 न0दो0 न0दो0 चा0प्र0	– – – –
			कुल किता 4	0.8130 है0	–	–
	5	गीता पत्नी रमेश, कान्हा, राहुल, विमल पुत्रान रमेश, नीरज, पूजा, मौनू पुत्रियान रमेश हि0 ब0 396/1385, मुशी पुत्र हीरालाल हि0 989/1385 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार।	1936/2 1925/3	0.1035 है0 0.0350 है0	न0दो0 न0दो0	– –
			कुल किता 2	0.1385 है		
	6	ल्हौरी पत्नी भैरोसिह जाति गर्जर हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार।	1936/1 1925/4	0.0739 है0 0.0250 है0	न0दो0 न0दो0	– –
			कुल किता 2	0.0989 है0	–	–
	7	भैरोसिंह पुत्र श्रीया हि0 5/6, निहाल पुत्र श्रीया हि0 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार।	2407/3	0.0750 है0	चा0प्र0	–
			कुल किता 1	0.0750 है0	–	–

आज 14.11.2025 को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली निर्णित कर फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14.11.25

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

अमरसिंह बनाम भैरोंसिंह बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 59/20

वादीगण की की ओर से श्री सुखराम परमार एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 14.11.2025 को सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

वाद वादीगण बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि बागथर तहसील बसेड़ी में विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त बागथर तहसील बसेडी में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अगं रहेगे।

[हस्ताक्षर] 14.11.25
(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज

वादी		प्रतिवादी	
	रूपये		रूपये
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4.......रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	–	–	–
जोड		जोड	

[हस्ताक्षर] 14.11.25
उपखण्ड अधिकारी
बसेडी
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेड़ी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

अमरसिंह बनाम भैरों सिंह बगैरा

1. अमरसिंह
2. अतरसिंह

} पुत्रगण बाबू उर्फ बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी बागथर तह० बसेडी जिला धौलपुर राज०

.... वादीगण

बनाम

1. भैरोसिंह
2. निहालसिंह

} पुत्रगण श्रीया जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी जिला धौलपुर रा०

3. गीता वेवा पत्नी रमेश
4. कान्हा
5. राहुल
6. विमल

} पुत्रगण रमेश जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी जिला धौलपुर राज०

7. नीरज पुत्रीयान
8. पूजा
9. मौनू

} रमेश जातिगण गूर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी जिला धौलपुर

10. रनवीर
11. मुन्शी

} पुत्रगण हीरालाल जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी

12. दीनदयाल
13. निर्भय भगबानसिंह
14. रामरूप
15. शादीलाल
16. रामबाई पुत्री
17. पुत्र लक्खों

} पुत्रगण लक्खों जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह० बसेडी जिला धौलपुर

18. मन्जू पत्नी राजवीर जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी
19. मौनू पुत्र राजवीर जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी
20. सौनू पुत्र राजवीर जातिगण गुर्जर निवासीगण बागथर तह०बसेडी
21. ल्हौरी पत्नी भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी बागथर तहसील बसेडी जिला धौलपुर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी

.... **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

14.11.25

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner